वाद सं. 8/15 विजयसिंह/ अजयसिंह

19—9—2019

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी0 पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया कि वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी सं. 4 श्रीमती सुखी देवी का दिनांक 20—5—16 को स्वर्गवास हो गया इस कारण वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/7 के स्थान पर 1/6 हिस्सा हो गया है इसलिए वादपत्र के पैरा सं. 1, 12, अनुतोष में उक्त संशोधन किया जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी की ओर से इस बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से बंटवारा का दावा पेश किया गया है तथा उसमें 1/7 भाग मानते हु विभाजन करवाने का अनुतोष ाहा है। एक प्रतिवादी सं. 4 श्रीमती सुखी देवी की मृत्यु हो गई है जिससे उनके परिवार का एक सदस्य कम होने से विभाजन के वाद में 1/7 के स्थान पर 1/6 हिस्सा ही प्रत्येक पक्षकार बनता है इस आशय का प्रार्थनापत्र वादी द्वारा पेश किया गया है। चूंकि श्रीमती सुखीदेवी वादी व प्रतिवादीगण की माता थी, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात 1/6 हिस्सा का ही दावा वादी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए उक्त संशोधन से दावे की प्रकृति पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

लिहाजा वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी संशोधित दावा पेश करे।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद दिनांक .... को पेश हो।